

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 488 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 88 / 53 आरटीए



श्रीचन्द पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादी

### बनाम

1. रामकुमार पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  2. कलवन्तराय पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  3. शिवकुमार पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  4. रणजीतसिंह पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  5. राधा देवी पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  6. शारदा देवी पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  7. सुनील कुमार पुत्र रीछपाल पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत.तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
  8. अमितकुमार पुत्र रीछपाल पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत.तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  9. शंकुतला देवी पुत्री रीछपाल पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई नि. किशनपुरा उत.तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
  10. सतपाल पुत्र बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उतराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  11. महिन्द्र कुमार पुत्र बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत. तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  12. प्रेमकुमार पुत्र बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उतराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  13. इन्द्रा पुत्री बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  14. उरमला पुत्री बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि. किशनपुरा उतराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  15. कमलादेवी पुत्री बिरमा देवी पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत. तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
  16. कौशल्यादेवी पुत्री बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत.तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  17. दलीप कुमार पुत्र बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत. तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  18. श्रवण कुमार पुत्र बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत. तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  19. सुनीता पुत्री बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  20. सरोज पुत्री बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उतराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  21. रोशनी देवी पुत्री बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत. तह.संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
  22. अंकुश गोदारा पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.
  23. सोहन दतक पुत्र बस्तीराम (फौत)
  - 23/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल
  - 23/2 संजय कुमार पुत्र सोहन लाल
  - 23/3 बबीता पुत्री सोहन लाल
  - 23/4 ममता पुत्री सोहन लाल
- जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज.)
24. जालू राम पुत्र सरदारा जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
  25. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री नरेश मण्डा अधिवक्ता – वादी
2. श्री संजय धारणियां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 22, 23/1 ता 23/4
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 25

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जिसमें वादी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 भाई प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बहिने, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 भतीजे, 10 ता 21 भानजे व भानजी है तथा प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 सह-खातेदार के रूप में नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 25 भू-धारक है वादी व प्रतिवादीगण अपनी-अपनी कृषि भूमि पर शान्तीपूर्ण तरीके से निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं कब्जा काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में वादी के नाम से खाता संख्या 130/80 में 1391/7843 हिस्सा, व इसी खाता में 0.1012 है. कृषि भूमि के स्थान पर सहवन से 1012/7843 है. जमाबन्दी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है।

जमाबन्दीयों की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी ने प्रतिवादीगण के साथ कृषि भूमि का घरुविभाजन अच्छी मन्दी के अनुसार कर रखा है व अपनी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्ण तरीके से निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं कब्जा काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा वादी संयुक्त परिवार की चक 12 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में वादी के नाम से खाता संख्या 130/82 में 1391/7843 हिस्सा व इसी खाता में 0.1012 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी को उक्त खाता में 0.912 है। का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने अधिकारी एवं दावेदार है। घरु विभाजन के अनुसार वादी को प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार से है:- चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 वादी श्रीचन्द पुत्र ताराचन्द का 2.404 है। जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.नं.	किला नम्बर
118/138	53	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है., 6/0.253 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है., 15/0.253 है. 21/0.253 है.
119/138	54	11/0.127 है. 20/0.253 है. 21/0.253 है.

वादी का चक 12 पीटीपी के खाता संख्या 130/82 में 0.912 है। हिस्सा घोषित कर प्रति. संख्या 1 ता 21 व 24 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग अपने सगे भाई/ताउ/मामा/वादी के पक्ष में कर दिया है अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 अपने पास कोई हक वा हिस्सा नहीं रखना चाहता है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 का नाम कलमजन किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 4 के खण्ड (क) में वर्णित कृषि भूमि का हिस्सा घोषित करवाकर खाता विभाजन करवा देवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार को गये बस यही वाद कारण हैं।

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 12 पीटीपी के खाता संख्या 130/82 में वादी को 0.912 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 व 24 का नाम कलमजन किया जावे एवं चक 12 पीटीपी के खाता संख्या 130/82 में वाद पत्र की चरण संख्या 4 (क) के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी साधारण सम्मन व रजिस्टर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 24 उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किये। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 22, 23/1 ता 23/4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये, जिसका वादी ने कोई विरोध नहीं किया गया, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 25 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी श्रीचन्द की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी एवं उपस्थित प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र व काउन्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22, 23/1 ता 23/4 सहमत होना व प्रतिवादी संख्या 24 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 खाता अंकुश गोदारा वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 में वादी एवं

प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22, 23/1 ता 23/4 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काशत कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 22, 23/1 ता 23/4 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किये हैं, वाद पत्र में कोई विरोध नहीं है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23/1 ता 23/4 खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः वाद की दफा 4 में वर्णित खाता विवादित है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22, 23/1 ता 23/4 के मध्य कोई विवाद नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 24 तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण वादी श्रीचन्द का वाद-पत्र व प्रतिवादी संख्या 22, 23/1 ता 23/2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 22, 23/1 ता 23/2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:-

1. वादी श्रीचन्द पुत्र ताराचन्द के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
118/138	53	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है.,5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है.,6/0.253 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है., 15/0.253 है. 16/0.253 है.
119/138	54	11/0.127 है. 20/0.253 है. 21/0.253 है.

2. प्रतिवादी संख्या 22 अंकुश गोदारा पुत्र नरेन्द्र कुमार के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
119/138	54	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 8 ता 10/0.253 है.प्र. 11/0.126 है. 12 ता 14/0.253 है.प्र. 18,19,22,23/0.253 है.प्र.

3. प्रतिवादी संख्या 23/1 राजेन्द्र कुमार व प्रति.संख्या 23/2 संजय कुमार पुत्रगण सोहन लाल के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
118/137	52	6/0.253 है. 15/0.253 है.
119/137	51	4/0.127 है. 5/1/0.101 है. 5/2/0.025 है., 7 ता 13/1.771 है.

अतःउक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23/1 ता 23/2 को खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21, 23, 24 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज.....x.....मुब्लिक.....x.....बाबत.....x.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया



**डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई**  
**अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया**  
**वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए**  
**प्रकरण संख्या:- 488/2022**

श्रीचन्द पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

-वादी

**बनाम**

1. रामकुमार पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. कलवन्तराय पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. शिवकुमार पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रणजीतसिंह पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. राधा देवी पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. शारदा देवी पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सुनील कुमार पुत्र रीछपाल पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. अमितकुमार पुत्र रीछपाल पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. शंकुतला देवी पुत्री रीछपाल पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई नि. किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 10.सतपाल पुत्र बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 11.महिन्द्र कुमार पुत्र बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 12.प्रेमकुमार पुत्र बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 13.इन्द्रा पुत्री बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 14.उरमला पुत्री बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि. किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 15.कमलादेवी पुत्री बिरमा देवी पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 16.कौशल्यादेवी पुत्री बिरमा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 17.दलीप कुमार पुत्र बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 18.श्रवण कुमार पुत्र बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 19.सुनीता पुत्री बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 20.सरोज पुत्री बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 21.रोशनी देवी पुत्री बिधा पुत्री ताराचन्द जाति बिश्नोई नि.किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 22.अंकुश गोदारा पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.
- 23.सोहन दत्तक पुत्र बस्तीराम (फौत)
- 23/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल
- 23/2 संजय कुमार पुत्र सोहन लाल
- 23/3 बबीता पुत्री सोहन लाल
- 23/4 ममता पुत्री सोहन लाल
- 24 जालू राम पुत्र सरदारा जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 25 तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 21 ता 22, 23/1 ता 23/4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:-

1. वादी श्रीचन्द पुत्र ताराचन्द के हक व हिस्से की कृशि भूमि :-

चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
118/138	53	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है.,5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है.,6/0.253 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है., 15/0.253 है. 16/0.253 है.
119/138	54	11/0.127 है. 20/0.253 है. 21/0.253 है.

2. प्रतिवादी संख्या 22 अंकुश गोदारा पुत्र नरेन्द्र कुमार के हक व हिस्से की कृशि भूमि :-

चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
--	--	--

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
119/138	54	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 8 ता 10/0.253 है.प्र. 11/0.126 है. 12 ता 14/0.253 है.प्र. 18,19,22,23/0.253 है.प्र.

3. प्रतिवादी संख्या 23/1 राजेन्द्र कुमार व प्रति.संख्या 23/2 संजय कुमार पुत्रगण सोहन लाल के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 12 पीटीपी खाता संख्या 130/82 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
118/137	52	6/0.253 है. 15/0.253 है.
119/137	51	4/0.127 है. 5/1/0.101 है. 5/2/0.025 है., 7 ता 13/1.771 है.

अतःउक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23/1 ता 23/2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21, 23, 24 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....x.....नल.....x.....मुब्लिक.....x.....निल.....x.....बाबत्.....x.....निल...100/-.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....x.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 को जारी किया गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया